घनश्याम बनाम रामसहाय

अपील संख्या : 2023/107

23.06.2023	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री मनीष शर्मा की ओर से यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 38/2023 मे पारित आदेश दिनांक 16.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे स्थगन प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट घनश्याम को दिनांक 20.05.1976 को खसरा नम्बर 147 रकबा 25 बीघा कृषि भूमि ग्राम कैथूदा तहसील पीपल्दा मे आंवटित हुई थी तथा अपीलांट को मौके पर कब्जा संभलाया था, उपरोक्त कृषि भूमि के सेटलमेन्ट के बाद नवीन खसरा नम्बर 491 रकबा 2.19 हैक्टेयर कायम किये गये। आवंटन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अपीलांट के खाते मे 25 बीघा कृषि भूमि होनी चाहिए थी। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जानबूझकर त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुए प्रार्थी के खाते मे 15 बीघा खाते का ही इन्द्राज किया। अपीलांट 25 बीघा कृषि भूमि पर काबिज है। अपीलांट की कृषि भूमि ग्राम कैथूदा की अंतिम सीमा पर स्थित है तथ ग्राम कैथूदा के समीप ग्राम गुडला की सीमा है। ग्राम गुडला की सीमा पर अपीलांट के समीप रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की भूमि स्थित है। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 जबरदस्ती ताकत के बल पर कब्जा करने को आमादा है। उक्त आधार पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 188, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वाद एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.06.2023 को पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 09.06.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट के पक्ष मे जारी की तथा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.06.2023 नियत की परन्तु अपीलांट की अनुपस्थिति मे तारीख पेशी दिनांक 27.06.2023 से पूर्व ही दिनांक 16.06.2023 को पत्रावली में सीमाज्ञान हेतु पत्रावली दिनांक 20.06.2023 नियत कर दी एवं यह भी आदेश कर दिया कि नायब तहसीलदार खातौली टीम गठित कर सीमाज्ञान करावे। उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी, परन्तु तहसील कार्यालय मे बताया गया कि इस प्रकरण मे सीमाज्ञान करवाने का आदेश हो चुका है। दिनांक 09.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.06.2023 नियत की गई परन्तु बदनियती पूर्वक इस प्रकरण मे दिनांक 16.06.2023 को

मिलीभगत से सीमाज्ञान करवाने का आदेश कर दिया तथा दिनांक 27.06.2023 के बदले दिनांक 20.06.2023 की पेशी नियत कर दी, जो सर्वथा गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई के किसी प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी को नोटिस भी जारी नहीं किया तथा प्रार्थी की गैर मौजूदगी मे तारीख पेशी के पूर्व दिनांक 16.06.2023 को पत्रावली मे सीमाज्ञान कराने का आदेश कर दिया, जबकि दिनांक 09.06.2023 को पत्रावली मे सीमाज्ञान करवाने के बारे मे अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 27.06.2023 तक के लिये जारी कर रखी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने आरबीट्रेरी रूप से तारीख पेशी के पूर्व ही इस प्रकार का आदेश करके भारी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश जारी करने के पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थी पक्ष द्वारा जवाबदावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का जवाब भी पेश नहीं किया गया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली निकलवाकर प्रार्थी के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण , सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति स्वयं के पक्ष मे होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ईटावा जिला कोटा के आदेश दिनांक 16.06.2023 की कियान्विति ताफैसला अपील स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

हमने स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है जिसके अनुसार दिनांक 09.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश होने पर प्रार्थी अपीलांट को एकतरफा सुना गया तथा प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया कि यदि राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करने पर प्रार्थी की भूमि खाते मे कम दर्ज हुई है तो आगामी तक सीमाज्ञान नहीं करवाया जावे। तहसीलदार पीपल्दा इस संबंध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के सीमाज्ञान नहीं किये जाने के संबंध मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.06.2023 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 16.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति होना अंकित किया साथ ही उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा सहमति जाहिर होना बताकर पत्रावली सीमाज्ञान हेतु दिनांक 20.06.2023 को नियत की गई। साथ ही नायब तहसीलदार खातौली को टीम गठित कर सीमांकन किये जाने का आदेश अपनी आदेशिका दिनांक

16.06.2023 मे अंकित किया है। यह यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.06.2023 मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.06.2023 नियत थी, तो पत्रावली उससे पूर्व ही दिनांक 16.06.2023 को किस आधार पर सुनवाई हेतु पेश की गई। हमारे समक्ष प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की सत्य प्रतिलिपि मे कहीं पर भी जल्दी सुनवाई या अन्य कोई प्रार्थना–पत्र पेश होने का कोई अंकन नहीं है। उक्त आदेशिका दिनांक 16.06.2023 मे किसी भी अधिवक्ता की ओर से पत्रावली को नियत तारीख पेशी से पूर्व शीघ्र सुनवाई हेतु रखे जाने के संबंध मे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने का अंकन भी नहीं है। साथ ही आदेशिका दिनांक 16.06.2023 पर किसी भी पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि न तो उनके पक्षकार तथा न ही उनके अधिवक्ता दिनांक 16.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने उपस्थिति गलत रूप से अंकित की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2023 अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे पारित किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही अपीलांट को नियत तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली नियत किये जाने के संबंध मे कोई नोटिस पेश किये जाने अथवा कोई सूचना पत्र जारी किये जाने का भी अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 16.06.2023 न्यायोचित नहीं होने से अपील के इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर यथाशीघ्र विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जावे तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की सत्यप्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा